

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प पुस्तकी कम्प

प्रकरण संख्या / 939/21 प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

दिनांक :- 11.11.2024

उनवान

श्री राजेश कुमार पुत्र गोपीलाल कानून
काटका

सरकार जरिये. तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्राची को खाता दुस्तली प्रार्थना पत्र और उसके साथ सलग्न दस्तावेज.
पटवारी हल्का डीकड भू अ. नि. पुस्तकी कम्प नायब तहसीलदार

/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशास अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डीकड प. हरीकड

की वर्तमान जमाबन्दी सम्बत 2076-79 के खाता संख्या 662 में
प्राचीगण की प्रविष्टि राजेश कुमार पुत्र गोपीलाल काटका

के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र गोपीलाल काटका

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

Dr
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्राची श्री राजेश कुमार पुत्र गोपीलाल काटका
3. रक्षित पत्रावली

Dr
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा